

82
24

पत्रावली पेश हुई। मजदूरों को उपस्थित
 करके मैं तहसीलदार हिण्डौन। 9LP/90
 द्वारा मैं रिपोर्टिंग। जिसके
 अनुसार सुकरण में म्यादात धारा
 द्वारा पारित विवेक अनुसार ग. 20
 890 द्वारा पालना कर दी है। अतः
 भूअभिविहीनता की रिपोर्ट अनुसार पत्र
 हीन पर कार्यवाही शुरू की जाती है।
 पत्रावली के माल सुमार ही कर नाला ही
 कम है।

8/2/24

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करोली)

